

प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (जून 1994) के निर्णयानुसार, जहां कहीं एक वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहां राज्य से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। इसलिए यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन होने पर यह प्रतिवेदन परवर्ती संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के क्रमशः वित्त और विनियोजन लेखाओं की जांच से उदभूत मामलों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर अध्याय III में वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के साथ विहंगावलोकन और सरकार के अनुपालन की प्रास्थिति दी गई है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा के परिणामों और राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन पृथक प्रस्तुत किए गए हैं।

